

न्यास विलेख

ट्रस्ट के इस विलेख 29 पर किए गए ३ मई, 2021 के दिन के बीच श्री अभय सिंह चौहान पुत्र देवेन्द्र सिंह चौहान 46 वर्ष, 141-ए, कटेवा नगर, न्यू सांगानेर में रहते हैं रोड, राधा गोविंद पथ, सोडाला, श्याम नगर, जयपुर, राजस्थान 302019 इसके बाद कहा जाता है "सेटलर" (जिस अभिव्यक्ति को तब तक बाहर रखा जाएगा जब तक कि संदर्भ से बाहर या प्रतिकूल न हो) अपने निष्पादकों, प्रशासकों और प्रतिनिधियों को शामिल करने के लिए) एक भाग की पार्टी

तथा

श्रीमती किरण कंवर पुत्र लक्ष्मी नारायण सिंह आयु 42 वर्ष, 141-ए, कटेवा में रहती हैं
नगर, न्यू सांगानेर रोड, राधा गोविंद पथ, सोडाला, श्याम नगर, जयपुर, राजस्थान
302019

(इसके बाद संयुक्त रूप से "ट्रस्टीज" के रूप में संदर्भित किया गया है, जो अभिव्यक्ति को तब तक बाहर रखा जाएगा जब तक कि या सन्दर्भ के प्रतिकूल वर्तमान समय के लिए न्यासी या न्यासी को शामिल करने के लिए समझा जाएगा अन्य भाग के ये वर्तमान और कार्यालय में उनके उत्तराधिकारी)

जहाँ तक:

- (ए) सेटलर सभी व्यक्तियों के कल्याण के लिए एक ट्रस्ट स्थापित करने का इच्छुक है
ट्रस्ट से जुड़े; तथा
- (बी) ट्रस्टियों ने सेटलर के अनुरोध पर . के पहले ट्रस्टी के रूप में कार्य करने के लिए सहमति व्यक्त की है
ये उपहार, जैसा कि उनके पक्षकार होने और इन उपहारों को क्रियान्वित करने से प्रमाणित होता है।

अब यह अनुबंध इस प्रकार है:

1. अपनी उक्त इच्छा को पूरा करने के लिए सेटलर ने न्यासियों को सौंप दिया है a
1100/- की राशि (रु. एक हजार एक सौ मात्र) धारण करने के लिए और कब्जा करने के लिए
उसी के लिए (बाद में संक्षिप्तता के लिए जिसे "ट्रस्ट फंड" कहा जाता है, जो अभिव्यक्ति
नकद और किसी भी अन्य संपत्ति और किसी भी प्रकार के निवेश को भी शामिल करेगा
जिसमें उसी या उसके किसी भाग को परिवर्तित किया जा सकता है, शामिल किया जा सकता है या भिन्न किया जा सकता है
समय-समय पर या जैसे कि न्यासी द्वारा प्राप्त किया जा सकता है या उनके हाथों में आ सकता है
इन उपहारों के आधार पर या कानून के संचालन से या अन्यथा के संबंध में जो भी हो
ये प्रस्तुत करता है) ट्रस्ट पर और शक्तियों, प्रावधानों के साथ और अधीन,
समझौतों और घोषणाओं को इसके बाद घोषित किया गया है और इसमें निहित है और इससे संबंधित है
वही।
2. ट्रस्ट का नाम प्रेसमैन (ट्रस्ट) और का पंजीकृत कार्यालय होगा
ट्रस्ट होगा 141-ए, कटेवा नगर, न्यू सांगानेर रोड, राधा गोविंद पथ, सोडाला,

3. जिन उद्देश्यों के लिए ट्रस्ट फंड सभी के कल्याण के लिए एक ट्रस्ट स्थापित करना है
ट्रस्ट से जुड़े व्यक्ति, उनमें से कुछ का उल्लेख नीचे किया गया है:

- (ए) पत्रकारों पर हो रहे अन्याय और हमलों के मामले को गंभीरता से लेते हुए गठन एक विशेष जांच दल और इसे उजागर कर रहा है।
- (बी) पत्रकारों को भ्रष्टाचार और भय मुक्त समाज की स्थापना के लिए प्रोत्साहित करना देश भर में।
- (C) पत्रकारों को टोल टैक्स से छूट देना।
- (डी) बढ़ते अपराधियों, भ्रष्ट और रिश्तित लेने वालों को रंगे हाथों पकड़ें देश और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें।
- (ई) अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए और सूचित करके उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए शासन प्रबंध।
- (च) सदस्यों पर हो रहे अत्याचारों के अन्याय को रोकने के लिए संगठन और की मदद से एक सुलह समझौता करने के लिए शासन प्रबंध।
- (छ) अपराधों की खुफिया जानकारी प्राप्त करना और उन्हें साँपना प्रशासन और उन पर कार्रवाई कर रहा है।
- (ज) फंसे हुए निर्दोष लोगों को सहयोग और संग्रह करके मदद करना साक्ष्य जुटाकर प्रशासन को साँपे।
- (i) प्रशासन को अपराधियों तक पहुंचने में मदद करने के लिए अपराधियों की खुफिया जानकारी और गहन जांच कर रहे हैं।
- (ज) देश में चल रहे मुकदमों में बेवजह फंसे लोगों की मदद करना सबूत इकट्ठा करके और सच्चाई तक पहुंचकर और पेश करके अदालत अदालत में सबूत।
- (के) चालक साथियों पर अन्याय और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाना संगठन से जुड़े और अन्य सामाजिक कार्य कर रहे हैं।
- (एल) अस्पतालों को नकद और/या वस्तु के रूप में सहायता स्थापित करने, बनाए रखने और/या अनुदान देने के लिए, स्कूल, चिकित्सा महाविद्यालय, नर्सिंग संस्थान, अस्पताल, धर्मार्थ और / या यात्रा औषधालय, आप्टरकेयर क्लिनिक, प्रसूति गृह, सभी प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम, बाल कल्याण केंद्र, अनाथालय, विधवा गृह और/या लाभ के लिए भारत में इसी तरह के अन्य समान धर्मार्थ संस्थान और जरूरतमंदों का उपयोग।
- (एम) वृक्षारोपण और पेड़ों का विकास और देखभाल करना,
- (एन) ट्रस्ट फंड या संचय की पूरी या आय का हिस्सा लागू करने के लिए ट्रस्ट के किसी एक या अधिक उद्देश्यों के लिए, जैसा कि ट्रस्टी कर सकते हैं उनका विवेक समय-समय पर निर्धारित करता है, इसके अलावा यदि कोई कमाई है इस गतिविधि से बना है तो उसी के उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाएगा

फिलहाल के लिए निवेश।

(पी) पैसे उधार लेने या बढ़ाने या सुरक्षित करने के लिए और पैसे उधार देने के लिए भी केवल वित्तीय सहायता के उद्देश्य से या तो सुरक्षा के साथ या बिना सुरक्षा के

एक बार जरूरतमंदों की मदद करना जहां लाभ कमाने का मकसद नहीं होगा भरोसा।

(क्यू) किसी भी संपत्ति को बेचने, निपटाने, अलग करने या अन्यथा सौदा करने के लिए ट्रस्ट फंड।

(आर) ट्रस्ट फंड में शामिल किसी भी अचल संपत्ति को पट्टे पर देने, समाप्त करने के लिए ऐसी अवधि और ऐसे किराए पर ऐसे नियमों और शर्तों पर जैसे न्यासी अपने विवेक से उचित समझें।

(एस) समायोजित करने, व्यवस्थित करने, समझौता करने, यौगिकों, मध्यस्थता को संदर्भित करने के लिए, सभी क्रियाएं, ट्रस्ट फंड के संबंध में मुकदमे, दावे, मांग और कार्यवाही।

(टी) गठित वकीलों या एजेंटों को नियुक्त करना और उन्हें सौंपना वकील या एजेंट इन के तहत निहित सभी या कोई भी शक्तियाँ प्रस्तुत करता है और समय-समय पर ऐसे वकीलों या एजेंटों को हटाता है और उसके स्थान पर अन्य या अन्य को नियुक्त करें।

(यू) किसी भी व्यक्ति को नियुक्त करने या प्रावधान करने के लिए (सभी या इनमें से कोई भी शामिल है) न्यासी और समितियाँ या प्रशासक या प्रबंध न्यासी या अन्यथा) ऐसे में ट्रस्ट के प्रशासन के प्रयोजन के लिए तरीके और ऐसे नियमों और विनियमों के अधीन जो न्यासी हो सकते हैं निर्धारित और अलग से नियुक्ति के लिए नियुक्ति या प्रावधान करने के लिए भी न्यासी इस के प्रावधानों के अधीन किसी भी फंड या निवेश को धारण करने के लिए इस तरह से और इस तरह के नियमों और विनियमों के अधीन विलेख न्यासी समय-समय पर उचित समझ सकते हैं।

(व) ले जाने के लिए योजनाओं, नियमों और विनियमों को बनाना, बदलना, बदलना या संशोधित करना ट्रस्ट के उद्देश्य और उसके मामलों के प्रबंधन के लिए और/या न्यास के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए कोई संस्था चला रहे हैं और अन्यथा ट्रस्ट के उद्देश्य को प्रभावी करने के लिए।

(डब्ल्यू) किसी भी दान या धर्मार्थ को शुरू करने, समाप्त करने, बंद करने और फिर से शुरू करने के लिए आम जनता के लाभ के लिए और किसी भी शर्त को लागू करने के लिए संस्थान उनके द्वारा किए गए किसी भी सदस्यता या दान के लिए।

(x) अलग से सेट करना और/या पूरी या आंशिक आय या कोष का आवंटन करना ट्रस्ट के किसी भी उद्देश्य के लिए ट्रस्ट फंड या उसके हिस्से का।

(य) इस ट्रस्ट में शामिल होने, सहयोग करने या अन्य या अन्य लोगों के साथ सामेलन करने के लिए न्यासियों के रूप में ऐसे नियमों और शर्तों पर रिश्तेदार या संबद्ध वस्तुएं अपने विवेक से ठीक सोच सकते हैं, विशेष रूप से और के संबंध में

स्कूल, कोलाज, पुस्तकालय वाचनालय, छात्रावास, बोर्डिंग को सहायता assistance
घरों, प्रयोगशालाओं और समान प्रकृति के अन्य संस्थान किसी भी स्थान पर या
छात्रों और कर्मचारियों के उपयोग के लिए भारतीय संघ में जगह और भी

आम तौर पर शिक्षा के विकास और/या उन्नति के लिए और
आम जनता के बीच ज्ञान का प्रसार।

(एए) छात्रों, छात्रवृत्तियों को स्थापित करने, बनाए रखने और / या चलाने के लिए और प्रस्तुत करना
दवाओं, पुस्तकों की आपूर्ति सहित व्यक्तियों को अन्य प्रकार की सहायता,
वजीफा, पदक और अध्ययन के लिए अन्य प्रोत्साहन, बिना किसी भेद के
जाति, रंग या पंथ।

(बी बी) वृद्धाश्रम, अनाथालय या अन्य को स्थापित करने, बनाए रखने और सहायता प्रदान करने के लिए
जरूरतमंद, गरीब और बेसहारा लोगों को राहत और मदद के लिए प्रतिष्ठान
लोग, अनाथ और विधवा।

(सीसी) जरूरतमंदों, निराश्रितों, शारीरिक रूप से विकलांगों को सहायता प्रदान करना
और गरीब बिना किसी जाति, रंग और पंथ के भेदभाव के।

(डी डी) अकाल भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत देने के लिए,
बाढ़, अग्नि महामारी और समान प्रकृति की आपदाओं के अन्य अवसर और
संस्थानों को दान, सदस्यता या योगदान देना,
ऐसे राहत कार्य के दौरान प्रतिष्ठान या व्यक्ति।

(ईई) अन्य सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्टों को सहायता और / या सहायता प्रदान करने के लिए या
संस्थान।

(च) मृतक के परिवार/यों को ईंधन और अन्य सामग्री उपलब्ध कराना
शवों के निपटान और निर्माण, मरम्मत और
मार्गाट्स का प्रबंधन करें। श्मशान घाट, कब्रिस्तान आदि बिना किसी
जाति, पंथ या रंग का भेद।

(छ) सामान्य जन उपयोगिता की उन्नति के लिए कोई अन्य कार्य नहीं करना
बिना किसी भेद के लाभ के लिए कोई गतिविधि करना शामिल है
जाति, रंग या पंथ।

4. संगठन में निम्न प्रकार के सदस्य हो सकते हैं।

ए। संपादक, स्वतंत्र पत्रकार, संवाददाता/संवाददाता, छायाकार/

कैमरामैन लेखक और सभी प्रकार के समाचार पत्रों से जुड़े व्यक्ति,

पत्रिकाएँ आदि हमारे संगठन के पदाधिकारी हो सकते हैं।

बी आरटीआई कार्यकर्ता, अधिवक्ता, डॉक्टर, शिक्षक, साहित्यकार, रुचि रखने वाले लोग people

सदस्यता फॉर्म भरना होगा और वह जब कभी भी ट्रस्ट का सदस्य होगा
नाम न्यास के न्यासियों और अन्य प्राधिकारियों की साप्ताहिक बैठक में न्यास द्वारा अनुमोदित किया जाता है
भरोसा।

6. सदस्यता की समाप्ति: आत्म-इस्तीफा पर, यदि पागल या दिवालिया घोषित किया जाता है, यदि, अदालत द्वारा दंडित किया गया, सदस्यता स्वचालित रूप से अभिनय के लिए समाप्त हो जाएगी बल के नियमों के खिलाफ।
7. न्यासी प्राप्त सभी धन का सही और सटीक लेखा-जोखा रखेंगे और ट्रस्ट संपत्तियों के प्रबंधन के दौरान खर्च किए गए और उसके संबंध में सभी मामले या ट्रस्ट के साथ-साथ सभी के उद्देश्यों और उद्देश्यों को पूरा करने के संबंध में ट्रस्ट संपत्तियों की संपत्ति, क्रेडिट और प्रभाव।
8. ट्रस्ट के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए और के प्रावधानों के अनुसार ट्रस्ट फंड के निवेश या उपयोग के लिए आयकर अधिनियम, कुछ समय के लिए बल, न्यासियों के पास निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी: -
(ए) किसी भी दान, योगदान, अनुदान या सदस्यता को नकद या वस्तु के रूप में स्वीकार करने के लिए शर्तों के साथ या बिना किसी व्यक्ति, निकाय या व्यक्तियों का व्यक्तिगत निकाय या ट्रस्ट।
9. न्यासियों के लिए आय में से दान के रूप में सहायता देना वैध होगा या न्यास निधि का कोष या अन्यथा, विभिन्न धर्मार्थ संस्थानों, समितियों को, भारत में संगठन या ट्रस्ट जो स्थापित हो सकते हैं या जो हो सकते हैं इसके बाद इन उपहारों या किसी में उल्लिखित धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए स्थापित किया जाएगा उनमें से ऐसी संस्था, सोसायटी, संगठन या ट्रस्ट को शुरू करने, बनाए रखने या के लिए सक्षम करने के लिए इन उपहारों या उनमें से किसी में वर्णित धर्मार्थ वस्तुओं को पूरा करें।
10. न्यासी केवल ऐसे धन, स्टॉक, शेयरों और निधियों के लिए प्रभार्य होंगे जैसा कि: वास्तव में उनके हाथ में आ जाएगा और एक ट्रस्टी इसके लिए जवाबदेह या जवाबदेह नहीं होगा अन्य न्यासियों की उपेक्षा, चूक, कार्य या चूक या कमीशन, किसी बैंकर की नहीं या अन्य व्यक्ति जिसके बिना ट्रस्ट की संपत्तियां या कोई प्रतिभूतियां हो सकती हैं जमा या रखा हुआ।

अयोग्य या कार्य करने में असमर्थ होना।

13. प्रत्येक न्यासी इसकी एक माह की सूचना देने पर त्यागपत्र देने के लिए स्वतंत्र होगा।

14. न्यासी समय-समय पर के आचरण और विनियमों के लिए नियम बना सकते हैं

न्यासियों की बैठकें। ऐसे विनियम के अभाव में :-

(ए) दो न्यासी न्यासियों की बैठक के लिए एक कोरम बनाएंगे।

(बी) सभी मामलों को ट्रस्टियों द्वारा पारस्परिक रूप से तय किया जाएगा।

(सी) न्यासियों की किसी भी बैठक के बिना लेकिन उसके संचलन द्वारा पारित संकल्प न्यासियों की बैठक में विधिवत पारित संकल्प के रूप में वैध और प्रभावी होगा।

15. न्यासियों के लिए सभी खर्चों का निपटान करना और समझौता करना, कंपाउंड करना, वैध होगा।

किसी भी कार्यवाई या कार्यवाही या विवाद, दावा, मांग या मध्यस्थता को छोड़ना या संदर्भित करना चीजें, इस तरह के उद्देश्य के लिए उचित हैं, वहां हुई किसी भी हानि के लिए जिम्मेदार नहीं हैं द्वारा द्वारा।

16. न्यासी के लिए किसी की जमानत पर धन उधार लेना वैध होगा

इनमें से सभी या इनमें से किसी भी उद्देश्य के लिए ट्रस्ट फंड या अन्यथा में शामिल संपत्ति प्रस्तुत करता है और न्यासियों के लिए के भुगतान पर ऐसे उधार लेना वैध होगा

इस तरह के ब्याज और अन्यथा ऐसे नियमों और शर्तों पर जो वे अपने पूर्ण रूप से कर सकते हैं विवेक उचित समझे।

17. यह न्यासियों के लिए वैध होगा:-

(ए) सरकार, सार्वजनिक निकायों, शहरी, स्थानीय, नगरपालिका, जिला और को आवेदन करने के लिए अन्य निकायों, निगमों, कंपनियों या व्यक्तियों को स्वीकार करने या अनुदान देने के लिए धन और सहायता दान, उपहार, सदस्यता और अन्य सहायता एक दृश्य के साथ ट्रस्ट के उद्देश्य को बढ़ावा देने और चर्चा करने और बातचीत करने के लिए सरकारी विभाग, सार्वजनिक और अन्य निकाय निगम, कंपनियां या विश्वास करना और किसी भी उचित शर्त के अनुरूप होना जिस पर ऐसा अनुदान और अन्य भुगतान किया जा सकता है।

(बी) किसी अन्य चैरिटेबल ट्रस्ट, सोसाइटी, एसोसिएशन के साथ अधिग्रहण या सामेलन करना या समान वस्तु वाली संस्था।

संघों के संस्थान जिनके साथ यह न्यास समामेलन के लिए प्राधिकृत है।
(एफ) संपत्ति, संपत्ति, देनदारियों और इस की सगाई के सभी या किसी भी हिस्से को स्थानांतरित करने के लिए
ट्रस्ट, सोसायटी, संस्थान या एसोसिएशन जिसके साथ यह ट्रस्ट अधिकृत है
मिलाना

(छ) इन उपहारों के ट्रस्टियों के लिए यह किसी भी समय वैध होगा यदि वे चाहें, तो
ट्रस्ट फंड को उनके कब्जे या नियंत्रण में किसी अन्य को हस्तांतरित करना और सौंपना
ऐसी शर्तों पर समाज, निगम, संस्था, ट्रस्ट या संगठन और Organization
शर्त के रूप में न्यासी अपने पूर्ण विवेक से उचित और उचित समझेंगे
उसी पर समाज, निगम, संस्था, ट्रस्ट या संगठन द्वारा आयोजित किया जा सकता है
न्यासी और शक्तियों, प्रावधानों, समझौतों और के साथ और अधीन
इन वर्तमान विषयों में प्रकट होने वाली और निहित घोषणाएं जैसे
संशोधन के रूप में आवश्यक हो सकता है और ट्रस्ट के हस्तांतरण के परिणामस्वरूप
ऐसे समाज, निगम, संस्था, न्यास या संगठन, न्यासियों को निधि
कुछ समय के लिए इन उपहारों को ट्रस्ट से मुक्त कर दिया जाएगा
ऐसे ट्रस्ट फंड या संपत्तियों से संबंधित है जिन्हें स्थानांतरित किया जा सकता है या
पूर्वोक्त के रूप में अवगत कराया।

18. ट्रस्ट के लेखा वर्ष पर 31 को समाप्त हुए किया जाएगा ^{सं०} हर वर्ष के मार्च।
19. सेटलर किसी भी बैंक में ट्रस्ट के नाम से बैंक खाता या खाता खोलेगा जो
के बोर्ड द्वारा अधिकृत उनके हस्ताक्षर या किसी अन्य ट्रस्टी के तहत संचालित किया जाएगा
ट्रस्टी।
20. ट्रस्ट के सेटलर और ट्रस्टी आगे घोषणा करते हैं कि ट्रस्ट के विघटन की स्थिति में,
ट्रस्ट की निधि/संपत्ति (कानूनी स्वामित्व में) केवल कुछ को हस्तांतरित की जाएगी
अन्य ट्रस्ट/सोसाइटी/गैर-लाभकारी कंपनी जिसका समान उद्देश्य है और किसी के लिए नहीं
व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए।
21. सेटलर और ट्रस्टी द्वारा आगे यह स्पष्ट किया जाता है कि ट्रस्ट डीड के सभी उद्देश्य इस प्रकार हैं:

25. ट्रस्ट का कार्यालय 141-ए, कटेवा नगर, न्यू सांगानेर रोड,
राधा गोविंद पथ, सोडाला, श्याम नगर, जयपुर, राजस्थान 302019, जब तक कि बदला न जाए
अधिकांश ट्रस्टियों द्वारा।

26. यह स्पष्ट रूप से घोषित किया जाता है कि ट्रस्ट की संपत्ति या ट्रस्ट फंड की उसकी आय का कोई हिस्सा नहीं है no
भारत के बाहर किसी भी उद्देश्य के लिए या किसी भी उद्देश्य के लिए आपूर्ति की जाएगी जो सार्वजनिक नहीं है
कानून में धर्मार्थ उद्देश्य और इसके सभी प्रावधानों को तदनुसार समझा जाएगा।

जिसके साक्षी में यहां के दलों ने अपने-अपने हाथों को देखा और अभिदान किया है,
दिन, महीने और साल पहले यहाँ ऊपर लिखा है।

की उपस्थिति में हस्ताक्षर:

1.

(श्री अभय सिंह चौहान)

2.

आबादकार

(श्रीमती किरण कंवर)

दिनांक: 29.05.2021

ट्रस्टी

जगह: जयपुर